फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

~~मुस्तगीस~~ अणदाराम बनाम वेहनाराम ~~मुलजिम~~ वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. ....154.... सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.05. 2018	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कुभसिंह चौधरी द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एक पक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी कुषि भूमि मौजा पीरोंणी सांईयों की ढ़ाणी पटवार हल्का परेऊ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 722 रकबा 54.09 आई हुई है। प्रार्थीगण के कब्जे काशत की भूमि में विप्रार्थीगण जबरदस्ती कब्जे काशते में हस्तक्षेप व पुरानी माठों को ताडने व बाधा कारिक पर करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख ..04/6/2018..... तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा पीरोंणी सांईयों की ढ़ाणी पटवार हल्का परेऊ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 722 रकबा 54.09 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलनदाजी हस्तक्षेप बाधा कारित नहीं करे । एवं न ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करे। तथा न ही प्रार्थीगण के खेत के सेढ़ा माठ तोड़ने का प्रयास करे व मो तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थी को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक ..04/6/2018 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

04/06/18

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत परेऊ में रखी गई, प्रार्थी वकील व विप्रार्थी संख्या-1 स्वयं उपस्थित। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी तथा विप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय नेपामबंदी आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुझ विप्रार्थी संख्या-1 द्वारा अपने खातेदारी खेत मौजा-साईयों की ढाणी परवाह राजस्व परेऊ के खेत खसरा नम्बर-723, 881 रकबा क्रमशः 29.02 बीघा व 98.04 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेपाम स्थापित करने हेतु आदेश करवाया गया परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर नेपामबंदी करने में व्यवधान पैदा कर रहे है परन्तु मैं मेरे खातेदारी खेतों की नेपामबंदी करवा रहा हूँ जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों के सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार की रुकावट खड़ी या मेड़बंदी तोड़ना या अन्य किसी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज फरमाया जावे ताकि मेरे खातेदारी खेतों की नेपामबंदी करवाई जा सके। उक्त स्थगन आदेश के सम्बन्ध में ग्राम के मौजिज व्यक्तियों तथा कैम्प कोर्ट में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मजमे आम पूछताछ की गई। अत: वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 09/06/2018 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

...रीख हुक्म
09/06/18

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/06/18	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा विपक्षीगण संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय नेक्शाबन्दी आदेश मौजा पीराणी सांईयों की ढाणी पटवार हल्का परेऊ के खेत खसरा नम्बर-क्रमशः 723, 881 रकबा क्रमशः 29.02, 98.04 बीघा का अवलोकन किया तथा मजने आम में पूछताछ करने से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के खातेदारी खेतों की नेक्शाबंदी में व्यवधान उत्पन्न करने की मंशा से ही उक्त स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा मौजा पीराणी सांईयों की ढाणी परेऊ खसरा नम्बर-722 रकबा-54.09 बीघा भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है। उक्त स्थगन की आड़ में विपक्षीगण के खातेदारी खेतों की नेक्शाबन्दी नहीं रुकवाई जा सकती है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11/05/2018 को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है तथा विपक्षी अपने खातेदारी खेतों की नेक्शाबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है तथा प्रार्थीगण उक्त नेक्शाबन्दी से प्रभावित होता है तो प्रार्थीगण भी अपने खेतों की नेक्शाबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है। लिहाजा उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	